# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–86/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/86)

1. रामदयाल पुत्र मोडू, निवासी आलोली, तहसील, सावर जिला अजमेर।
2. श्रीमती अंजू पत्नी रोशन पाली मीणा, जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील अनेयारा जिला टोंक।
3. श्रीमती गायत्री पत्नी जसवंत मीणा निवासी अरांई जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. अखिलेश पुत्र घीसालाल कुम्हार
2. घीसालाल पुत्र लादू कुम्हार
3. शरद कुमार पुत्र घीसालाल
4. शिवम पुत्र अखिलेश (नाबालिग जरिए संरक्षक पिता)
   समस्त जाति कुम्हार निवासी आलोली, तहसील सावर, जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सावर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, उपखण्ड अधिकारी ,केकड़ी विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.03.2022 राजस्व वाद संख्या 250/2021

उपस्थितः–

1. श्री राकेश अरोड़ा, इरान खां, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4.
3. श्री विकास पारीक, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5.

## निर्णय

दिनांकः–12.12.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा प्रकरण संख्या 250/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 183, 184 कुल रकबा 1.89 हैक्टर वाके ग्राम मेहरूकलां तहसील सावर जिला अजमेर रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी की आराजीयात है। उपरोक्त आराजीयात में आवागमन हेतु खसरा संख्या 167 की पश्चिमी मेड पर होना बताते हुए एवं खसरा संख्या 167 की पश्चमी दिशा की मेड पर रास्ता खुलवाए जाने बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर तलब किए जाने के आदेश पारित किए गए एवं पेशी दिनांक 13.1.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नियत की गई उक्त पेशी पर अपीलांट/अप्रार्थी उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाए जाने व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलबी के आदेश दिए गए। जिस पर पत्रावली को लोक अदालत में नियत किया जाकर एकपक्षीय रूप से आक्षेपित निर्णय से अपीलांट की खातेदारी की आराजी में से आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 250/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 183, 184 कुल रकबा 1.89 हैक्टर वाले ग्राम गेतरूकलां तहसील सावर जिला अजमेर रेसपोडेंट संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी की आराजीयात है। उपरोक्त आराजीयात में आवागमन हेतु खसरा संख्या 167 की पश्चिमी मेड़ पर होना बताते हुए एवं खसरा संख्या 167 की पश्चिमी दिशा की मेड़ पर रास्ता खुलवाए जाने बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर तलब किए जाने के आदेश पारित किए गए एवं पेशी दिनांक 13.1.2022 नियत की गई उक्त पेशी पर अपीलांट/अप्रार्थी उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाए जाने व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलबी के आदेश दिए गए। जिस पर पत्रावली को लोक अदालत में नियत किया जाकर एकपक्षीय रूप से आक्षेपित निर्णय से अपीलांट की खातेदारी की आराजी में से आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश पारित किए गए जो निरस्त योग्य है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में खातेदार काश्तकारों के द्वारा स्वयं की आराजीयात पर आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते के अभाव में ही रास्ता स्वीकृति हेतु अन्य खातेदारान की आराजीयात से रास्ता दिलाए जाने बाबत आवेदन किया जा सकेगा। प्रस्तुत प्रकरण में रेसपोडेंट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता होने के उपरांत भी वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 167 जो कि अपीलांट की स्वयं की खातेदारी की आराजीयात है, उक्त आराजीयात पर होकर रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए गए है, अतः आराजीयात किसी भी रूप में रास्ते के लिए दिया जाना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार प्रावधित नहीं है। इसके बावजूद धारा 251 ए की मंशा के विपरीत वैकल्पिक मार्ग खसरा संख्या 177, 182 178 के मध्य स्थित पगडंडी वाले रास्ते से होने के बावजूद भी तथा अन्य रास्ता खसरा संख्या 60, 61, 62, 63 से सटाकर उत्तर की ओर स्थित है व खसरा संख्या 163 के रास्ते से आवागमन हेतु रहा है, का अंकन नहीं किया जाकर प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 167 में से रास्ता स्वीकृत किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 183 व 184 में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग स्थित है, उक्त वैकल्पिक रास्ता मौके पर स्थित होते हुए भी निर्णय में मौका रिपोर्ट में दीगर कोई रास्ता दर्शित नहीं किया है वर्णित करते हुए निर्णय से खसरा संख्या 167 की पश्चिमी मेड़ पर से रास्ता दिए जाने बाबत आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। आराजीयात खसरा संख्या 183 व 184 में आवगमन हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 खसरा संख्या 177, 182, 178 के मध्य स्थित रास्ते से आवगमन करते रहे है। अन्य वैकल्पिक रास्ता जो खसरा संख्या 60, 61 62, 63 से सटाकर उत्तर की ओर स्थित है तथा खसरा संख्या 177 रास्ते से सटाकर आवगमन हेतु रास्ता रहा है, स्वयं रेस्पोडेंट द्वारा सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग केकडी के समक्ष वाद संख्या 85/2011 निर्णय दिनांक 3.4.2015 में किसी भी प्रकार का रास्ता आराजीयात खसरा संख्या 167 में होना नही मानते हुए प्रस्तुत वाद को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 से मौके की रिपोर्ट तलब कराए जाने के आदेश पारित किए है किंतु रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर पटवारी हल्का को उक्त संदर्भ में मौका रिपोर्ट तलब की गई जबकि 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पीठासीन अधिकारी अथवा तहसीलदार से निम्न स्तर का कोई भी अधिकारी मौके पर रिपोर्ट हेतु नहीं जा सकेगा ना ही उक्त आधार पर निर्णय पारित किया जा सकेगा। परंतु उक्त प्रकरण में रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसे उक्त दिनांक 12.3.2022 को ही प्राप्त होना वर्णित करते हुए प्रकरण को लोक अदालत में सुना जाकर निर्णय पारित किया गया। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांतों को पेश किया है– आर0बी0जे0 (27)2020, आर0आर0टी0 2016(1), आर0आर0टी0 2017(1).

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी जो कि ग्राम मेहरूकला तहसील सावर जिला अजमेर कि जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता संख्या नया पुराना 285–255 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 183 व 184 कुल रकबा 1.89 है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज खातेदारी है उक्त खसरा नम्बर में काबिज वर्षो से खसरा नम्बर 167 की पश्चिम मेड से खसरा नम्बर 183 व 184 में आते जाते रहे हैं किंतु वर्तमान में खसरा नम्बर 167 के खातेदार रामदयाल पुत्र मोडू मीणा ने उसकी आराजी की तारबंदी कर रास्ते को बंद कर दिया है। जिसके कारण अप्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में आने जाने में काफी बाधा उत्पन्न होती है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 183 व 184 में आने जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता विक्षीण संख्या 01 के आराजी खसरा नम्बर 167 कि पश्चिमी मेड़ के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। मौका रिपोर्ट भू–निरीक्षण अभिलेख एवं पटवारी हल्का द्वारा विधि तैयार की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी/अपीलांट की प्रोपर तामिल करवायी हैं, उसके बावजूद भी उपस्थित नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया आदेश निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पाया कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/ प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा संख्या 183 व 184 में आने जाने हेतु रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस बाबत उनके समक्ष लंबित पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखा जाकर बिना अपीलांट को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए उक्त आदेश दिनांक 12.3.2022 पारित कर दिया जोकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सरकारी नियम 69 की पालना किए बगैर ही भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट पक्षकारों की अनुपस्थिति में बनाई गई है। उक्त अविधिक मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित किया है। उक्त अपील को आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2022 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को इस आश्य से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वे प्रकरण में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए 251 ए प्रार्थना पत्र में सभी पक्षकरों की उपस्थिति में वैकल्पिक मार्ग को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधानों के अनुसार पुनः मौका रिपोर्ट तलब कर यदि मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त होती है तो मौका रिपोर्ट आपत्ति का निरस्तारण कर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 250/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे प्रकरण में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए 251 ए प्रार्थना पत्र में सभी पक्षकरों की उपस्थिति में वैकल्पिक मार्ग को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधानों के अनुसार पुनः मौका रिपोर्ट तलब कर यदि मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त होती है तो मौका रिपोर्ट आपत्ति का निरस्तारण कर विधि सम्मत आदेश पारित करें।पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.1.2023 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर